(137)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1513-पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 02-05-2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण क्रमांक 333/अपील/2011-12

रघुवर सिंह आत्मज श्री हरनाम रघुवंशी
निवासी ग्राम खैरी मुगली तहसील बरेली
जिला रायसेन म0प्र0 .....आवेदकपक्ष

विरूद्ध

1-लोकाभिराम नाबालिग पुत्र श्री रघुवरसिंह रघुवंशी,
2-कु.गीताबाई नाबालिग पुत्री श्री रघुवरसिंह रघुवंशी,
दोनों संरक्षिका मॉ फूलाबाई पत्नी रघुवर सिंह
3-फूलाबाई पत्नी रघुवरसिंह रघुवंशी
निवासी ग्राम खैरी मुगली तहसील बरेली जिला रायसेन
हाल निवासी ग्राम सिलवाह तहसील बरेली जिला रायसेन .....अनावेदकपक्ष

श्री कुवंरसिंह कुशवाह, अभिभाषक, आवेदकपक्ष
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदकपक्ष

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29/5/19 **को पारित)**

आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-05-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम खैरी मुगली तहसील बरेली स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 62, 66/2/2, 78 एवं 81/2 कुल किता 4 कुल रकबा 11.76 एकड़ राजस्व अभिलेखों में अनावेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य में अंकित चली आ रही है ।

इस कृषि भूमि के अलावा उत्तरवादी के नाम पर ग्राम कुचवाड़ा तहसील उदयपुरा में कृषि भूमि के अलावा उत्तरवादी के नाम पर ग्राम कुचवाड़ा तहसील उदयपुरा में कृषि भूमि सर्वे नम्बर 269/2 रकबा 2.20 एकड़ एवं ग्राम सिंगपुर में सर्वे नम्बर 131/1 एवं 131/3/2 कुल किता 2 रकबा क्रमश: 1.18, 0.16 कुल रकबा 1.34 एकड़ राजस्व अभिलेखों में अंकित है । अनावेदक क्रमांक 1 व 2 आवेदक के नाबालिग पुत्र एवं पुत्री है तथा अनावेदक क्रमांक 3 आवेदक की विवाहित पत्नी है । आवेदक ने अनावेदक क्रमांक 3 को उसके मायके में छोड रखा है । अनावेदक क्रमांक 1 व 2 अनावेदक क्रमांक 3 के साथ निवास कर रहे हैं । आवेदक अपने पिता के बहकावे में आकर अपीलाग्रस्त कृषि भूमि को विक्रय करनेका प्रयासकर रहा था इसलिये अनावेदकगण ने अपने हितों की रक्षा एवं अपने हक की भूमि को पृथक पृथक कराने बावत् नायब तहसीलदार बरेली के समक्ष एक आवेदन संहिता की धारा 178-क के प्रावधानों के तहत आवदेक के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 3-3-2011 को आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27-2-2012 को आदेश पारित कर अनावेदकगण की अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 2-5-2016 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अनावेदिका क्रमांक 3 जो आवेदक की पत्नी है वह अपनी स्वेच्छा से अपने मायके अपने माता पिता के पास दोनों बच्चों को ले जाकर स्वेच्छा से अपने माता पिता के पास रह रही है एवं आवेदक को अपने पास रखने में कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है । ऐसी आवेदक की स्वअर्जित संपत्ति को अनावेदकगण को किसी भी स्थिति में नहीं दी जा सकती । इस तथ्य को नजरअंदाज कर जो आदेश पारित किया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

(2) पत्नी अपनी स्वेच्छा से अपने माता पिता के पास मायके में दोनों नाबालिग बच्चों को ले जाकर रहे और अपने पति के साथ दाम्पत्य जीवन का निर्वाहन न करें ऐसी स्थिति में पति की

स्वअर्जित संपत्ति में से हक लेने का एवं किसी भी न्यायालय को देने का कोई अधिकार नहीं है। इस तथ्य को नजरअंदाज कर जो आदेश पारित किया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यही कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । उनके द्वारा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि संहिता की धारा 178 A के अन्तर्गत भूमिस्वामी बंटवारे के लिये आवेदन दे सकता है, वारिस नहीं । प्रकरण में भूमिस्वामी के जीवित रहते हुये उसके वारिसान द्वारा बंटवारे का आवेदन दिया गया है जो प्रचलन योग्य नहीं है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भूमिस्वामी के जीवित रहते हुये उसके उत्तराधिकारी सिविल न्यायालय से हक की मॉग कर सकते हैं, राजस्व न्यायालय इसके लिये सक्षम नहीं है । इसलिये तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है तथा अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-05-2016 निरस्त किया जाता है तथा तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3-3-2011 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-2-2012 स्थिर रखे जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर